न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) मुकलावा। 3

संख्या : 28

सन् : 2019

सरकार बनाम। स्वर्ण सिंह - जसकरण सिंह S/o हजुर सिंह, हकुमत सिंह S/o कुलवन्त सिंह कौम जटसिख सा० 14 T.K

निर्णय

दिनांक :- 11.2.2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामील हो चुकी है। बावजूद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 13 T.K के मु.नं. 51 कि.नं. — के कुल 1.202 है। रकबा नहरी। बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी। ख.सं. 2075 में अनाधिकृत काश्त किया है। अप्रार्थी ने उक्त राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ सं. 2075 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट, 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी को इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी ....8/-......... प्रति है. का तावान 50 गुणा राशि 481/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की फसल की निलामी हेतु एवं फर्द निलामी प्रस्तुत करने हेतु ILR को लिखा जावे।

पटवारी हल्का को मतालबा डालबाछ सम्बन्धित मे कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर "घ" में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपतहसीलदार (राजस्व)
मुकलावा

Scanned by CamScanner